

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456] -

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2013—आश्विन 9, शक 1935

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-07/2013/जन. नि./42.— छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के उपबंधों को जिला स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक जिले के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ जिला कौशल विकास प्राधिकरण का गठन करती है, अर्थात् :-

(क)	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष (पदेन)
(ख)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य (पदेन)
(ग)	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (जिले का प्रभारी)	सदस्य -सचिव (पदेन)
(घ)	उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति	सदस्य
(ङ)	तकनीकी, कृषि, चिकित्सा, व्यावसायिक तथा प्रबंधन शिक्षा में लगे हुए शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति जिनमें से एक निःशक्त व्यक्ति होगा.	सदस्य
(च)	जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति	सदस्य
(छ)	जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित कौशल विकास क्षेत्र से संबंधित एक महिला	सदस्य
(ज)	जिले में पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जायेंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा.	सदस्य
(झ)	जिले में नगरीय स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जायेंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा.	सदस्य
(ञ)	जिला अग्रणी (लीड) बैंक मैनेजर	सदस्य (पदेन)

2. जिला कौशल विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार के विशेषज्ञ या अन्य अधिकारियों को, जिनकी संख्या तीन से अधिक न हो, आमंत्रित कर सकेगा, जो उसकी राय में विचार-विमर्श करने में अपना योगदान दे सकते हों।
3. ऊपर उल्लिखित सरल क्रमांक (घ) से (च) में सूचीबद्ध श्रेणियों के विरुद्ध सदस्यों के नाम पृथक् से अधिसूचित किये जायेंगे।

New Raipur, the 1st October 2013

NOTIFICATION

No. F 9-07/2013/MPP/42.— In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 2 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), the State Government, hereby, constitutes District Skill Development Authority for each district in the State of Chhattisgarh with the following composition in order to implement the provisions of the said Act at district level, namely :-

(a)	District Collector	Chairperson (ex-officio)
(b)	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Member (ex-officio)
(c)	Assistant Director, the Chhattisgarh State Skill Development Authority (district in-charge)	Member - Secretary (ex-officio)
(d)	Three Persons representing industry, trade and commerce	Members
(e)	Three Persons, one of whom shall be a person with disability representing educational institutions engaged in technical, agricultural, medical, vocational and management education.	Members
(f)	One person representing Vocational Training Providers in the district	Member
(g)	One woman with background in skill development to be nominated by the Chairperson of the District Planning Committee.	Member
(h)	Five members representing Panchayati Raj Institutions in the district, to be nominated by the Chairperson of the District Planning Committee, one of whom shall be from the Scheduled Castes, one from the Scheduled Tribes, and one from the Other Backward Classes.	Members
(i)	Five members representing Local Urban Bodies in the district, to be nominated by the Chairperson of the District Planning Committee, one of whom shall be from the Scheduled Castes, one from the Scheduled Tribes, and one from the other Backward Classes.	Members
(j)	The District Lead Bank Manager	Member (ex-officio)

2. District Skill Development Authority may extend invitations to experts or officers of the State Government, not exceeding three in number, who in its opinion can contribute in its deliberations.

3. Names of persons against the categories listed at serial No. (d) to (f) mentioned above, shall be notified separately.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित अग्रवाल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-07/2013/जन. नि./42.— यतः, अधिसूचना क्र. एफ 9-07/2013/ज. श. नि./42, नया रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2013 सहपठित छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 6 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन विघटित हो गया है तथा उसकी समस्त आस्तियां, दायित्व तथा उसकी भागिता पर या उस पर प्रोद्भूत संबिदात्मक बाध्यताएं राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की समझी जायेंगी।

अतएव, छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 2 के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण का गठन करती है, जो एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी तथा जिस पर उक्त नाम से वाद लाया जा सकेगा अथवा वाद किया जा सकेगा.

New Raipur, the 1st October 2013

NOTIFICATION

No. F 9-07/2013/MPP/42 .— Whereas, in accordance with the Notification No. F 9-07/2013/MPP/42 Naya Raipur, dated 17th September, 2013 read with Section 6 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), the Chhattisgarh State Skill Development Mission stands dissolved and all its assets, liabilities and contractual obligations on its part or accruing to it shall be deemed to be those of the Chhattisgarh State Skill Development Authority.

And therefore, exercising the powers conferred by clause (k) of Section 2 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), the State Government, hereby, constitutes the Chhattisgarh State Skill Development Authority which shall be a Body Corporate, having a perpetual succession, a common seal and may by the said name sue or be sued.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित अग्रवाल, सचिव.

